प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ''आर्मी बेस वर्कशॉपों के कार्यचालन'' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 36 आर्मी बेस वर्कशॉपों के कार्यचालन **(रक्षा सेवाएं – थल सेना)** आज संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा "आर्मी बेस वर्कशॉपों का कार्यचालन",ओवरहाल की समयोपरिता, ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, पुर्जों के मात्रा की समयोपरि उपलब्धता तथा मरम्मत किए गए उपकरण की गुणवत्ता आदि के संबंध में वर्कशॉपों की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए की गई है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2010-11 से 2015-16 तक की छह वर्षों की अवधि को आवरित करती है। आठ आर्मी बेस वर्कशॉपों में से पाँच अर्थात् 505 एबीडब्ल्यू, नई दिल्ली, 509 एबीडब्ल्यू, आगरा, 510 एबीडब्ल्यू मेरठ, 512 एबीडब्ल्यू, किरकी को उपकरणों की भारतीय सेना के लिए क्रिटिकॅलिटी के आधार पर तथा 515 एबीडब्ल्यू, बंगलुरु जो कि पुर्जों के निर्माण के लिए एकमात्र कार्यशाला है, का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था।

प्रमुख निष्कर्ष

1. लड़ाकू उपकरण के ओवरहाल का बैकलॉग

भारतीय सेना के पास बहुतायत में शस्त्र प्रणाली तथा उपकरणकी इन्वैन्टरी हैं, जिनका सामरिक सुसज्जता के लिए रखरखाव तथा बनाए रखना आवश्यक है। उपकरण के ओवरहाल का आवर्तन, अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा उपकरण के कल्पित जीवनचक्र के आधार पर निर्धारित होता है। इस नीति को सेना में उपकरण को शामिल करते समय बनाया जाता है ।

टैंक टी-72 के मामले में, ओवरहाल के बैकलॉग की मात्रा 2010-11 के अंत में 713 तथा 2015-16 के अंत में 479 रही जो कि कुल धारित उपकरणों के लगभग 20 प्रतिशत बनती है।

802 बीएमपी (इन्फन्ट्री कॉम्बॅट वाहन) जो कुल धारित उपकरण के 33 प्रतिशत बनता है तथा 200 एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2 (आर्मर्ड रिकवरी वाहन) जो कि, कुल धारित उपकरण के 90 प्रतिशत बनता है, 2015-16 के अंत तक ओवरहाल के लिए देय थे जिससे इस हद तक प्रचालन के लिए फ्लीट की प्रभावपूर्ण उपल्ब्धता कम हो गई।

2. सिग्नल उपकरण के ओवरहाल बैकलॉग

हमने रडार फ्लाय कॅचर के 18 प्रतिशत, रडार टीसी रिपोर्टर के 34 प्रतिशत तथा युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार के 21 प्रतिशत में पहले ओवरहाल केबॅकलॉग को देखा। इसके अलावा, रडार फ्लाय कॅचर के दूसरे ओवरहाल में 25 प्रतिशत का बॅकलॉग देखा गया।

3. श्रेणी 'बी' वाहनों-स्कॅनिया, टाट्रा तथा क्राज़ के लिए ओवरहाल पॉलिसी का न होना

स्कॉनिया, क्राज 255 बी/बी1 तथा टाट्रा टी-815 के लिए मुख्यालय बेस वर्कशॉप ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) तथा संबंधित वर्कशॉप के पास कोई ओवरहाल पॉलिसी उपलब्ध नहीं थी।

4. एमबीटी अर्जुन की मरम्मत/ओवरहाल के लिए सुविधाओं का अभाव

2004-05 से सेना में 124 एमबीटी अर्जुन टैंको को शामिल किया गया था जो कि 2020-21 से ओवरहाल के लिए देय है । इस उपकरण के शामिल होने के समय69प्रतिशत घटक आयातित थे। दो एजन्सीज़ अर्थात्कॉम्बॅट वाहन अनुसंधान विकास संस्थापन (सीवीआरडीई) तथा भारी वाहन फॅक्टरी (एचवीएफ), स्वदेशीकरण तथा आयात के माध्यम से फ्लीट के आयुचक्र के दौरान उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक घटकों को प्रदान करने के लिए जिम्मेवार थे। तथापि,सीवीआरडीई की आवश्यक घटक के स्वदेशीकरण करने में असफलता के कारण, एचवीएफ पुर्जो की आपूर्ति नहीं कर पाया। इसके कारण एमबीटी अर्जुन 2013 के बाद से परिचलन में नहीं रह पाया।

5. एबीडब्ल्यू द्वारा हासिल किए गए ओवरहाललक्ष्यों का परिमाण

505 एबीडब्ल्यू में 2010-11 से 2015-16 की अवधि दौरान टैंक टी-72 के ओवरहाल मूल लक्ष्यों के अनुसार 60 से 83 प्रतिशत के बीच रहा ।

512 एबीडब्ल्यू में, बीएमपी के संबंध में मूल लक्ष्यों की तुलना में हुए हासिल किए गए लक्ष्य में गिरावट पायी गई जो कि 13 से 62 प्रतिशत रही । एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2 के संबंध में हासिल किया गया लक्ष्य 222 के प्रति मात्र 22 ही था।

509 एबीडब्ल्यू में मूल लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्यों में गिरावट देखी गई जो कि रडार फ्लाय कैचर में लगभग 50 प्रतिशत और रडार टीसी रिपोर्टर में लगभग 60 प्रतिशत थी।

6. ओवरहाल में असामान्य विलंब

153 दिनों के मानदंड के सामने, बीएमपी के ओवरहाल में असामान्य विलंब हुआ तथा एबीडब्ल्यू ने ओवरहाल के लिए लगभग 1512 दिनों तक का समय लिया। उसी प्रकार, टैंक टी-72 के लिए 144 दिनों के मानदंड के सामने यह विलंब लगभग 836 दिनों के बीच रहा। बीएमपी के प्रत्येक यूटीडी-20 इंजन के ओवरहाल हेतु लिया गया औसतन समय 308 दिनों का था जो कि 30 दिनों के निर्धारित समय साँचे का 10 गुना था। रडार तथा उसके विभिन्न प्रकार के ओवरहाल में भी 921 दिनों तक की देरी देखी गई।

7. बीएमपी के ओवरहाल के लिए निम्न गुणवत्ता ईन्डेक्स

ओवरहाल किए गए बीएमपी के लिए गुणवन्ता इन्डेक्स (क्यूआई) 95 होना चाहिए। हमने देखा कि हासिल किया गया क्यूआई बहुत ही कम था।

8. युनिटों को ओवरहाल किए गए उपकरण के प्रेषण में विलंब

ओवरहाल के बैकलॉग तथा विलंब को सेना मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों को देरी से जारी करने तथा आयुध डिपो द्वारा उपकरण के प्रेषण में विलंब ने और अधिक जटिल कर दिया था।यह विलंब मुख्यतः, इन कार्यो को करने के लिए कोई लिखित मानदंड तथा समय साँचे की गैर-मौजूदगी के कारण हुआ।

9. एबीडब्लयू में टेस्टिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता

मूल उपकरण निर्माणकर्ता (ओईएम) की सिफारिशों के अनुसार,ओवरहाल किए गए गनों की टेस्ट फायरिंग एक अनिवार्य आवश्यकता थी। एबीडब्ल्यू द्वारा बीएमपी तथा टैंक टी-72 को प्रयोक्ता युनिट को उपकरण की टेस्ट फायरिंग तथाउभयचर क्षमता की जाँच के बगैर ही जारी कर दिया गया थाक्योंकि, यह आवश्यक टेस्ट सुविधा एबीडब्लयू में मौजूद नहीं थी।

10. लागत लेखा पद्धति का मौजूद न होना

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश यह विनिर्दिष्ट करता है कि वाहन तथा इंजिन के ओवरहाल की लागत किसी भी हाल में नए वाहन/इंजिन की लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद, मरम्मतों तथा ओवरहालों की लागत की प्रभावशालिता को निश्चित करने के लिए,एबीडब्ल्यू में कोई लागत लेखा पद्धति मौजूद नहीं थी।

11. ओवरहाल सुविधाओं के निर्माण में असामान्य विलंब

एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 के ओवरहाल की सुविधा मार्च 2009 में उसके शामिल होने के 28 वर्षों के पश्चात बनाई गई। यह वाहन 1996-97 से ही ओवरहाल के लिए देय था, परंतु 222 की कुल संख्या के सामने मात्र 22 एआरवी डब्ल्यूजेड टी-2 का ही ओवरहाल किया जा सका। इस उपकरण को 2018 से हटाए जाने की संभावना थी।

घटक स्तरीय मरम्मत परियोजना की शुरूआत तथा संस्वीकृति में विलंबों के कारण, न सिर्फ परियोजना की लागत 2004 में ₹ 287 करोड़ से 2011 में ₹1835 करोड़ तकबढ़ गई बल्कि, टैंक टी-90 के फर्स्ट मीडियम रिपेयर जो 2012 में देय था, वह भी बकाया रहा।

512 एबीडब्ल्यू में अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने हेतु,बीएमपीII/IIके के लिए संचार तथा रात्री दृष्टि संयंत्रों की मरम्मत/ओवरहाल के लिए एक न्यूक्लियस के रूप में ट्यूलिप परियोजना की जनवरी 2003 में ₹22.54 करोड़ की लागत पर मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई, जो कि अभी भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुई है ।

12. विचलन संस्वीकृतियों के कारण क्रिटिकल पुर्जों की अनुपलब्धता

आयुध के मास्टर जनरल(एमजीओ) द्वारा 398 ओवरहाल किए गए बीएमपी तथा 179 टैंक-72 के लिए विचलन संस्वीकृति प्रदान की गई थी। यह क्रिटिकल पुर्जों एवं एसेम्बलियों की अनुपलब्धता की वजह से आवश्यक हो गया था। विजन यंत्र, संचार सेट, ट्रैक इत्यादी के लिए विचलन प्रदान किए गए जिसने बीएमपी एवं टैंक टी-72 के निष्पादन को प्रभावित किया।